न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक इटावा
पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
18/2021	01/03/2021	2.9.2021

बउनवान

सलीम मौहम्मद पुत्र श्री कासम खां उम्र 48 वर्ष जाति मुसलमान निवासी करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादी

बनाम

1. जुम्मा खां पुत्र श्री कासम खां
2. मुमताज पुत्री श्री कासम खां जातियान मुसलमान निवासी करवाड तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. खालिक हुसैन पुत्र माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां
4. साधीक हुसैन पुत्र माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां
5. रफीक मौहम्मद पुत्र माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां
6. इरफान पुत्र माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां
7. जन्नत पुत्री माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां
8. मुन्नी निशा पुत्री माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां
9. शाहिस्ता पुत्री माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां जातियान मुसलमान निवासीगण बजाज खाना कोटा जिला कोटा राज०
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी. एक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम करवाड तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में आराजी खसरा नं0 1114 रकबा 0.40है0, खसरा नं. 1116 रकबा 0.86 है०, ख.नं. 1117 रकबा 0.51 है०, ख.नं. 1118 रकबा 0.15 हैक्०, कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 हैक्टर कृषि भूमि स्थित हैं जिसके खातेदार वादी व प्रतिवादी कम 1,2 की माता तथा प्रतिवादी कम 3 ता 9 की नानी है। खातेदार की मृत्यु हो चुकी है। वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 9 खातेदार मंदार के विधिक वारिसान है। जो कि मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जिनके परिवार का सजूरा निम्न प्रकार हैः–

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

मदार बाई

- सलीम मो0 पुत्र
- जुम्मा खां पुत्र
- मुमताज पुत्री
- चन्दा बाई (मृतक) पुत्री
  - खालिक हुसैन पुत्र
  - साधीक हुसैन पुत्र
  - रफीक मो0 पुत्र
  - इरफान पुत्र
  - जन्नत पुत्री
  - मुन्नी निशा पुत्री
  - शाहिस्ता पुत्री

यह कि खातेदार मदार के पिता का नाम ख्वाजाबक्श हैं, नवीबक्श नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व विभाग जानबूझकर त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुये मदार के वल्दियत ख्वाजाबक्श के स्थान पर नवीबक्श कर दी हैं। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार मदार के पिता की वल्दियत गलत दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में मदार पुत्र ख्वाजाबक्श होना चाहिए था। जिसे वादी दुरस्त करवाकर मदार पुत्री नवीबक्श के स्थान पर मदार पुत्री ख्वाजाबक्श करवाने का अधिकारी हैं। यह कि दिनांक 05.01.2021 को वादी की माता की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड की नकलें लेने व इन्तकाल खुलवाते समयं वादी को मालुम हुआ। तब वादी ने वादी की माता की वल्दियत को ठीक करवाने के लिए श्रीमान तहसीलदार साहब पीपल्दा से निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद पत्र पेश करने की हिदायत दी गई इसलिए न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि प्रतिवादी कम 10 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि व लेण्ड होल्डर हैं, जिनको वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध वाद लाने हेतु 80 सीपीसी के प्रावधानों के तहत 2 माह की मियाद का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं लेकिन वाद पत्र आवश्यक पृवति का हैं इसलिए 80 (2) सीपीसी के प्रावधानों के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं ।

यह है कि वाके ग्राम करवाड तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में आराजी खसरा नं0 1114 रकबा 0.40है0 खसरा नं. 1116 रकबा 0.86 हैक्०, ख.नं. 1117 रकबा 0.51 हैक्०, ख.नं. 1118 रकबा 0.15 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 हैक्टर कृषि भूमि में वादी की माता मदार की वल्दियत नवीबक्श के स्थान पर मदार पुत्री ख्वाजाबक्श की जावे। तदनाननुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण की तलबी सम्मन की गई। प्रतिवादीकम 1 ता 9 की ओर से नन्दकिशोर कुशवाह ने वकालतनामा व इकबाली जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीकम 10 की ओर से जवाब सरकार पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली में इकबाली जवाब होने से तनकी की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा पी0डब्ल्यू 1 सलीम मो0 व पी0डब्ल्यू 2 अब्दुलकरीम के शपथ पत्र पेश किए जो शामिल पत्रावली है।

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीकम 10 प्रस्तुत जवाब सरकार में मदार पुत्री नवीबक्श जाति मुसलमान नाम की मुताबिक जानकारी आवंटन दिनांक 24.1.1968 के समय अन्य कोई महिला मौजूद नहीं होना बताया गया है। मुताबिक जानकारी मदार पुत्री नवीबक्श व मदार पुत्री ख्वाजाबक्श एक ही महिला है। क्योंकि पहचान पत्र के सभी दस्तावेज पेन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में मदार के पिता का नाम ख्वाजाबक्श दर्ज हैं। मदार पुत्री नवीबक्श जाति मुसलमान के नाम मुताबिक जानकारी आवंटन दिनांक पूर्व पटवार मण्डल करवाड व सोभागपुरा में कोई भूमि खातेदारी/गैरखातेदारी में दर्ज होना नहीं बताया गया है तथा वर्तमान में मुताबिक जानकारी उक्त विवादित आराजी पर मदार के वारिसान का काबिज काश्त है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत पी0डब्ल्यू 1 सलीम मो0 व पी0डब्ल्यू 2 अब्दुलकरीम के शपथ पत्र में दिए गए बयानों में बताया गया कि मदार की वल्दीयत ख्वाजाबक्श ही है तथा मौके पर मदार के वारिसान उक्त विवादित कृषि आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर यह साफ जाहिर होता है कि वादी की मृतक माता मदार की वास्तविक वल्दीयत ख्वाजाबक्श है। मदार की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके खाते की उक्त विवादित कृषि आराजी वाके ग्राम करवाड तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में आराजी खसरा नं0 1114 रकबा 0.40है0 खसरा नं. 1116 रकबा 0.86 हैक०, ख.नं. 1117 रकबा 0.51 हैक०, ख.नं. 1118 रकबा 0.15 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 हैक्टर कृषि भूमि में वादी की माता मदार की वल्दियत नवीबक्श के स्थान पर मदार पुत्री ख्वाजाबक्श किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम करवाड तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में आराजी खसरा नं0 1114 रकबा 0.40है0 खसरा नं. 1116 रकबा 0.86 हैक०, ख.नं. 1117 रकबा 0.51 हैक०, ख.नं. 1118 रकबा 0.15 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 हैक्टर कृषि भूमि में वादी की माता मदार की वल्दियत नवीबक्श के स्थान पर मदार पुत्री ख्वाजाबक्श किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश प्रतिवादीकम 10 को दिए जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक इटावा

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा (आर0ए0एस0)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
18 / 2021	01 / 03 / 2021	2.9.2024

बउनवान

सलीम मौहम्मद पुत्र श्री कासम खां उम्र 48 वर्ष जाति मुसलमान निवासी करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादी

बनाम

1. जुम्मा खां पुत्र श्री कासम खां
2. मुमताज पुत्री श्री कासम खां जातियान मुसलमान निवासी करवाड तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. खालिक हुसैन पुत्र माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां
4. साधीक हुसैन पुत्र माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां
5. रफीक मौहम्मद पुत्र माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां
6. इरफान पुत्र माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां
7. जन्नत पुत्री माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां
8. मुन्नी निशा पुत्री माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां
9. शाहिस्ता पुत्री माता चन्दाबाई पिता नन्हें खां जातियान मुसलमान निवासीगण बजाज खाना कोटा जिला कोटा राज०
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज

प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री गिरिराज कुशवाह एडबोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू........................ मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम करवाड तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में आराजी खसरा नं0 1114 रकबा 0.40है0 खसरा नं. 1116 रकबा 0.86 हैक०, ख.नं. 1117 रकबा 0.51 हैक०, ख.नं. 1118 रकबा 0.15 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.92 हैक्टर कृषि भूमि में वादी की माता मदार की वल्दियत नवीबक्श के स्थान पर मदार पुत्री ख्वाजाबक्श किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश प्रतिवादीकम 10 को दिए जाते है।

तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 2.9.2024 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी।		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी।		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्तनामा			बाबत इजराय हुक्तनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक इटावा